प्रेस नोट
जनपद मीरजापुर
दिनांक- 12.05.2024
थाना राजगढ़ पुलिस द्वारा मारपीट कर घायल करने व इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार—

थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 11.05.2024 वादी नखडू पुत्र स्व0 लोकई निवासी सहदेइया बैड़ाड थाना करमा जनपद सोनभद्र द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादी के भाई के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने व इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई। जिसके आधार पर थाना राजगढ़ पर मु0अ0सं0-83/2024 धारा 304 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "अभिनन्दन" द्वारा उक्त घटना को बेहद गंभीरता पूर्वक लेते हुए घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु थाना प्रभारी राजगढ़ को निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी आपरेशन के नेतृत्व में थानाध्यक्ष विरेन्द्र सिंह मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए थाना राजगढ से आज दिनांकः 12.05.2024 को उपरोक्त घटना से सम्बन्धित अभियुक्त मोहित उर्फ पंडित पुत्र दद्दी निवासी दरवान थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा 0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. मोहित उर्फ पंडित पुत्र दद्दी निवासी दरवान थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर,उम्र करीब-23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0-83/2024 धारा 304 भादवि थाना राजगढ़ मीरजापुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

थानाध्यक्ष विरेन्द्र कुमार सिंह थाना राजगढ़ मय पुलिस टीम।